न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 255/2022

प्रार्थी :–

1. देवीलाल पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी गोदारों की बस्ती, मदरूपणियों की ढाणी, तह. बायतु जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. चुनीलाल पुत्र रामदानराम
2. जालाराम पुत्र रामदानराम
3. तीजोदेवी पत्नि रामदानराम
4. दलाराम पुत्र रामदानराम
5. बाबूलाल पुत्र रामदानराम जाति जाट निवासी बायतु
6. पाताराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी कल्याणपुर
7. ओमप्रकाश पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी नागाणा
8. घेवरराम पुत्र गिरधारीराम जाति सुथार निवासी नेवरी
9. जडावदेवी पत्नी रूपाराम जाति साटिया नि.पचपदरा
10. जोगाराम पुत्र घेवरराम जाति सुथार नि. नेवरी
11. टेलाराम पुत्र हडमतराम जाति मेघवाल नि. चाबा
12. दीपाराम पुत्र भीमाराम जाति सुथार नि0 नेवरी
13. नरेन्द्रकुमार पुत्र चुतराराम जाति सुथार नि0 नेवरी
14. नरेन्द्रकुमार पुत्र चुतराराम जाति सुथार नि0 नेवरी
15. पृथ्वीराज पुत्र कन्हैयालाल जाति सोनी नि0 गोदावास कलां
16. बादरमल पुत्र मोहनलाल जाति सुथार नि0 नेवरी
17. बालाराम पुत्र चुतराराम जाति सुथार नि. नेवरी
18. भंवरलाल पुत्र फुलाराम जाति भाट नि0 नागाणा
19. मंजु पत्नी जगदीश जाति जाट नि0 कालेवा
20. मुन्नीदेवी पत्नी रामारामा पुत्रवधु रूपाराम जाति साहुकार निवासी पचपदरा
21. मुसरफ पुत्र सदीक खां जाति कूरेशी नि. पचपदरा
22. मेहमूदा बानो पत्नी सलीम खां जाति मुसलमान नि.पचपदरा जिला बाडमेर
23. मानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कपूरडी
24. रामगोपाल पुत्र कन्हैयालाल सोनी नि. गोदावास कलां
25. श्रवणराम पुत्र घेवरराम जाति सुथार निवासी नेवरी
26. हरीराम पुत्र सूजारमा जाति सुथार निवासी नेवरी
27. ग्राम पंचायत पचपदरा जरिये सरपंच ग्रा.प. पचपदरा
28. राज0 सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री अचलाराम प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थीगण एकतरफा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश दिनांक :– 28.09.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत सरहद मौजा ग्राम पचपदरा पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 921/670 रकबा 0–2529 हेक्टर, में आयी हुई है। विप्रार्थी सख्या 1 ता 27 विवादित भूमि के सेढा पडोसी है।

जो प्रार्थी की भूमि को अवैध व अनुचित तरीके से सीमा सेढो का विवाद कर जबरन दबाकर हड़प करना चाहते है, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्ट्रर्ड नोटिस डाक रसीदे पेश की गई बावजूद सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गयी ।

प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण खातेदारी खेत के सेढा पडोसी है जिनके मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थी खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके सम्बन्ध मे हल्का पटवारी पचपदरा से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी में नक्शा खतौनी 2079–82, खसरा संख्या एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि) व प्रार्थी का आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने के आदेश फरवाएं।

हमने विद्ववान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली एवं पत्रावली संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया । बाद गौर प्रार्थी खातदेार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि का नेखमबंदी कराने का हकदार भी है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है

. लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पचपदरा पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 921/670 रकबा 0–2529 हेक्टर भूमि की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि नेखमबंदी करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थित में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत कर विवादित भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावे । पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। मौका कमिश्नर शुल्क प्रार्थी के द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आज दिनांक 28.09.2022 को आदेश लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा